कार्यालय कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग रा0रा0 संभाग सागर (म0प्र0)

क्र0/769 /कार्य/2025/

सागर दिनांक 11/4/25

प्रति,

उपसंचालक,

पन्ना टाईगर रिजर्व पन्ना

जिला–पन्ना (म0प्र0)

विषयः– पन्ना जिले में पन्ना टाईगर रिजर्व के बफर जोन से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग क्र.–43 गुलगंज–अमानगंज–पवई–कटनी मार्ग के विस्तार/चौड़ीकरण हेतु 31.82 हेक्टेयर वन भूमि (ऑनलाइन आवेदित 31.90 हे0) लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, सागर को उपयोग पर देने बावत् । (FP/MP/ROAD/121709/2021)

सन्दर्भः– 1– आपका पत्र क्र.–तक/2025/614/पन्ना दिनांक 13.03.2025

2– अनुविभागीय अधिकारी लो0नि0वि0रा0रा0 उपसंभाग छतरपुर का पत्र क्रमांक–211/तक0/2025 छतरपुर दिनांक 11.04.2025

----------------------XX----------------------

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि उक्त मार्ग के निर्माण कार्य के अन्तर्गत पन्ना टाईगर रिजर्व पन्ना के बफर जोन से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक–43 (विस्तार) गुलगंज–अमानगंज–पवई– कटनी मार्ग के कि0मी0 43.00 से 77.00 मे रिएलाइनमेंट एवं कर्व इम्प्रूवमेंट हेतु नवीन 31.90 हे0 वन भूमि का प्रस्ताव वन विभाग को प्रेषित किया गया है । इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भोपाल द्वारा वर्तमान मार्ग के क्षेत्र 12.60 हे0 को स्वीकृति हेतु समिलित करने के निर्देश दिये गये है ।

कलेक्टर छतरपुर के आदेश दिनांक 28.08.2024 के द्वारा निम्नानुसार गैर वन भूमि पन्ना टाईगर रिजर्व पन्ना को हस्तांतरित की गई हैः–

क्र0	खसरा नं0	भूमि का मद	हस्तांतरित क्षेत्र	रिमार्क
1	69 70 72	राजस्व भूमि (वन मद)	4.248 हे0 8.571 हे0 4.551 हे0 **कुल योगः– 17.37 हे0**	
2	80 94 101	राजस्व भूमि (पहाड मद)	9.105 हे0 6.633 हे0 11.384 हे0 **कुल योगः– 27.122 हे0**	

महायोग– 17.37+27.122 = 44.492 हे0

इस प्रकार कुल 44.492 हे0 राजस्व भूमि वन विभाग को हस्तांतरित की गई है ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक–सा0क0नि0 869 (अ) नई दिल्ली दिनांक 29.11.2023 से जारी निर्देश के नियम 13(1) नियम 14(4) के अंतर्गत प्रतिपूरक वनीकरण से संबंधित भूमि के अनुसार वन रूप मे अभिलेखित भूमि का दो गुणा भूमि की आवश्यकता है । जिसके अनुसार हस्तांतरित वन मद की भूमि 17.37 हे0 का आधा 8.685 हे0 एवं पहाड मद की 27.122 हे0 कुल 35.807 हे0 भूमि प्रस्तावित वन भूमि 31.90 हे0 के विरूद्ध हस्तांतरित की जा चुकी है । इस प्रकार अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता प्रतीत नही होती है ।

उल्लेखनीय है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र दिनांक 17.12.2024 वन (संरक्षण एवं संर्वधन) संशोधित नियम 2024 के अनुसार केन्द्र सरकार की

परियोजनाओं के लिये Degraded forest land के दुगने क्षेत्र पर प्रतिपूरक वनीकरण योजना तैयार की जा सकती है । जिसमे गैर वन भूमि की आवश्यकता नही है ।

पूर्व मे प्रकरण मे Degraded forest land के दुगने क्षेत्र पर प्रतिपूरक वनीकरण योजना तैयार की जाकर प्रस्तुत की जा चुकी है, जिसे मान्य किया जा सकता है ।

अतः अनुरोध है कि उक्त अनुसार वन भूमि/वन क्षेत्र में कार्य करने की अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें ताकि कार्य समय–सीमा मे पूर्ण किया जा सके ।

कार्यपालन यंत्री,
लोक निर्माण विभाग रा0रा0
संभाग सागर (म0प्र0)

पृ0क्र0 761 /कार्य/2025 सागर दिनांक 11/04/25

प्रतिलिपिः–

1– प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) वन भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित ।

2– मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग रा0रा0 परिक्षेत्र "निर्माण भवन" प्लाट नं0 27–28 अरेरा हिल्स भोपाल म0प्र0 की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित ।

3– मुख्य अभियंता क्षेत्रीय अधिकारी MORT&H "निर्माण भवन" प्लाट नं0 27–28 अरेरा हिल्स भोपाल म0प्र0 की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित ।

कार्यपालन यंत्री,
लोक निर्माण विभाग रा0रा0
संभाग सागर (म0प्र0)

F// Forest Letter 43+00 to 77+00 (EE-1)